आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 03/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती संगीता खत्री पत्नी श्री अनिल कुमार खत्री निवासी 5/3 56 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

1 पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय प्लाट नं॰ 4, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली एवं शाखा मानसरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत संख्या 319/2019 किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्रीमती अनिल कुमार खत्री में पारित आदेश दिनांक 10.12.2020 को रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित–

1. प्रार्थिया स्वयं उपस्थित है।
2. श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 12.01.2021

1. संक्षेप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मेरा पुत्र शशांक खत्री अभी यू एस ए में अध्यनरत है। जिसके लिए अप्रार्थी बैंक से शिक्षा के लिए ऋण लिया गया था। अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक में 7,99,028/–रूपया खाता एन पी ए होने से पहले जमा करा दिया। इसके पश्चात दिनांक 6 दिसम्बर 2019, से 29 दिसम्बर, 2020 तक कुल राशि 10,92,798/–रूपये बैंक में जमा करा दिये गये है, जिनकी रसीदें अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैंक की नियत पैसा नहीं ले कर मकान हडपने की है। उक्त मामले से सम्बन्धित प्रकरण माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष भी विचाराधीन है जिसमें आगामी सुनवाई की दिनांक 27.01.2021 नियत है। अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैक के अधिकारियों द्वारा प्रार्थिया के पति के मकान को हडपने के नियत से गलत तथ्यों के आधार पर गलत तरीके से कार्यवाही की जा रही है जिसके लिए दिनांक 14.11.2020 को पुलिस में एफ आई आर दर्ज करवाई जा चुकी है। अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर के समक्ष दिनांक 13.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें आगामी सुनवाई की दिनांक 25.01.2021 नियत है। इसके बावजूद अप्रार्थी बैंक ने तथ्यों को छिपाते हुये गलत शपथ पत्र पेश कर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.10.2020 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 10.12.2020 को आदेश पारित करवा लिया। जिसकी जानकारी प्रार्थिया को होने पर तत्काल दिनांक 7.01.2021 को रिव्यू प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। रिव्यू प्रार्थना

पत्र पैण्डिग होने के बावजूद दिनांक 8.01.2021 को बैंक द्वारा गलत तरीक से मकान का कब्जा ले लिया गया। प्रार्थिया का पैट डॉग मकान के अन्दर है, उसको खाना पानी नहीं देने दे रहे है। प्रार्थिया को भी अन्दर नहीं जाने देते है। अतः अप्रार्थी बैंक द्वारा तथ्यों को छिपा कर प्राप्त किये गये आदेश दिनांक 10.12.2020 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

2. रिव्यू/पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बैंक को वस्तु स्थित से अवगत कराने के लिए नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बैंक की ओर से श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता उपस्थित हुये ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थिया ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थिया के पति श्री अनिल खत्री के स्वामित्व की सम्पत्ति को हडपने और खुर्दबुर्द करने की नियत से अप्रार्थी बैंक अधिकारियों ने गलत तरीके से कार्यवाही कर प्रार्थिया के पति के स्वामित्व के मकान का कब्जा ले लिया है। जबकि उक्त मामले से सम्बन्धित प्रकरण माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है जिसमें सुनवाई की आगामी दिनांक 27.01.2021 नियत है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मान्य मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर के समक्ष दिनांक 13.12.2019 को धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो अभी तक विचाराधीन है। जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 25.01.2021 नियत है। धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद अप्रार्थी बैंक ने तथ्यों को छिपाते हुये गलत शपथ पत्र पेश कर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.10.2020 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का दूसरा प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 10.12.2020 को आदेश पारित करवा लियाऔर अवैद्य तरीके से बैक के अधिकारियों द्वारा प्रार्थिया के पति के मकान का कब्जा प्राप्त कर लिया। अतः अप्रार्थी बैंक द्वारा तथ्यों को छिपा कर प्राप्त किये गये आदेश दिनांक 10.12.2020 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।
5. अप्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को 15.12.2020 को नोट प्रेस कर लिया गया है। मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2020 को आदेश पारित किये गये है, जो विधि सम्मत है। प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो आधार बता कर आदेश को निरस्त कराना चाहा है, उन पर मान्य न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।
6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत कार्यवाही किये जाने के लिए अधिनियम में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट को समान रूप से अधिकृत किया गया है। अप्रार्थी बैक द्वारा धारा 13 (2) के नोटिस के आधार पर ऋणी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 13.12.2019 को धारा 14 के तहत पुलिस इमदाद हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो आज दिनांक तक विचाराधीन है जिसमें आगामी सुनवाई की दिनांक 25.01.2021 नियत है। इसके बावजूद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने तथ्यों को छिपाते हुये धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2020 को इस न्यायालय में पेश कर दिया और

दिनांक 10.12.2020 को आदेश पारित करवा लिया। एक न्यायालय में मामला लम्बित रहते हुये समान अधिकारिता के दूसरे न्यायालय से उसी कार्यवाही के लिए दूसरा प्रार्थना पत्र पेश करना न्याय संगत नही है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथ्यों को छिपा गया है तथा बैंक ने सद्भावी रूप से व क्लीन हैण्ड से इस न्यायालय में धारा 14 का प्रार्थाना पत्र पेश नहीं किया है। चूंकि पूर्व से मामला मान्य मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2020 को रिव्यू कर निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर